

कार्यालय छावनी परिषद् मेरठ
सार्वजनिक सूचना

छावनी क्षेत्र के आम नागरिकों एवम् व्यापारी बन्धुओं को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक वेस्ट अधिनियम 2021 लागू किया गया है। इसी क्रम में उक्त नियम छावनी परिषद् मेरठ में संयोजित है। जिसके अन्तर्गत निम्न परिवर्तन किये गये हैं।

1— 75 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन का प्रयोग दिनांक 30.09.2021 से प्रतिबंधित हो गया है।

2— 31 दिसम्बर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन भी प्रतिबंधित हो जायेगी।


3— 1 जुलाई 2022 से एकल प्रयोग—प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डार, वितरण, बिक्री और उपयोग करना निषेध हो गया है।

(i) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड़स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, थर्मोकोल की सजावटी सामग्री आदि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध।

(ii) प्लास्टिक से निर्मित प्लेटे, कप, गिलास, काटें, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द—गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्मे, सिगरेट पैकेट आदि 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक या पी.वी.सी. बैनर।

यदि किसी व्यक्ति को प्रतिबन्धित प्लास्टिक के कार्य में विलुप्त पाया गया तो छावनी अधिनियम 2006 की धारा 289 की उपधारा (5) के अन्तर्गत 5000 रुपये का जुर्माना या छ: माह की सजा या दोनों हो सकते हैं।

आज्ञा से


मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद् मेरठ।